


कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय प्रतापगढ़ (राज.)

-आदेश:-

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा तृतीय वेतन श्रृंखला प्रयोगशाला सहायक भर्ती वर्ष 2018 में चयनित पृष्ठांकित अभ्यर्थियों को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्रांक :- शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/12102/प्र.शा.स ग्रेड III/सी0म0/17-18 दिनांक 07.04.2021 द्वारा नॉन टीएसपी क्षेत्र में नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाकर पदस्थापन आदेश जारी करने के निर्देशों की पालना में निम्नांकित आशार्थियों को तृतीय वेतन श्रृंखला प्रयोगशाला सहायक के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में स्पष्ट रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरिक्षित वेतन मान) नियम 2017 के अनुसार पै मेट्रिक्स में लेवल L-8 में प्रोवेशनर ट्रेनी (परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोवेशन पर नियमानुसार दैन्य नियत मानदेय 18500 अक्षरे अठारह हजार पांच सौ रु (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर काउंसलिंग के दौरान आशार्थी द्वारा काउंसलिंग में अनुपस्थिति के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक :-प 8(1) कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत होगी।

सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे :-

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधित सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावेगा। पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1) डी0ओ0पी0/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थियों से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 2 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50 /- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
3. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागु होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबन्धी आशय का शपथ पत्र 50 /- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
4. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिया जाने का स्वघोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
5. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैद्यता सम्बन्धित जॉच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाये जाने के अध्यक्षीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी से 50/- रुपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक अथवा प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य या मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
6. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेज से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावे। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवायी जावे।
7. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर ही जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर आय प्रमाण पत्र जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् बना हुआ हो प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवायी जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे।
8. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को मूल आवेदन पत्र चस्पा छायाचित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करे, जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र (फोटो) चस्पा लगातार-2


15/04/21

9. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एतद्विषयक प्रसारित विज्ञप्ति के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय/ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन, विभिन्न याचिकाओं, अपील के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहते हुए की गई है।
10. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवम् आरक्षण संबंधित समस्त दस्तावेजों की जाँच आवश्यक रूप से कर लेवें। संबंधित आशार्थियों का पदस्थापन परामर्श शिविर में आशार्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर किया गया है।
11. इन कार्मिकों को परीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते, महंगाई भत्ते, महंगाई वेतन, मकान किराया भत्ता, विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे। परीक्षाधीन अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधानी निधि, की कटौतिया नियमानुसार नहीं होंगी।
12. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक:- एफ12(9)एफडी (रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोवेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार करनी होगी।
13. आशार्थी के परीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
14. परीक्षाधीन अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर अवकाश अनुज्ञा दी जावेगी।
15. पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करते समय निम्न अभिलेख सम्बन्धित अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
 - सक्षम चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
 - योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका की सत्यापित प्रतियां
 - पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी सदाचरण का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
 - आवेदक द्वारा दहेज न लिए जाने का स्व घोषणा पत्र
 - आवेदक द्वारा धूमपान/मद्यपान नहीं करने एवं गुटखा नहीं खाने का स्व घोषणा पत्र।
16. इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 30.04.2021 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे एवम् शाला दर्पण पर इनकी सूचना अपडेट करें।

क्रस	नाम	पिता का नाम	पता	मेरिट नं	रोल नं	जन्म तिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	बनवारीलाल चौधरी	नारायणलाल चौधरी	ग्राम सीतारामपुरा पो मलिकपुर तह चोमु जिला जयपुर राजस्थान 303712	796	206305	07.01.998	अपिव	राउमावि चांदाली

(किशनलाल कोली)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक प्रतापगढ़
दिनांक :- 15.04.2021

क्रमांक:- जिशिअमु/माध्य/प्रताप/संस्था/2021/

2116

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान शासन उप सचिव (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. श्रीमान शासन उप कार्मिक (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. श्रीमान सचिव राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर।
6. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
7. श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय स्कूल शिक्षा उदयपुर संभाग उदयपुर।
8. श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा प्रतापगढ़।
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
10. संबंधित संस्था प्रधान
11. संबंधित आशार्थी.....।
12. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।
13. रक्षित पत्रावली

(मुख्यालय) माध्यमिक प्रतापगढ़

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय प्रतापगढ़ (राज.)


-:आदेश:-

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा तृतीय वेतन श्रृंखला प्रयोगशाला सहायक भर्ती वर्ष 2018 में चयनित पृष्ठांकित अभ्यर्थियों को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्रांक :- शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/12102/प्र.शा.स ग्रेड III/सी0म0/17-18 दिनांक 07.04.2021 द्वारा नॉन टीएसपी श्रेणी में नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाकर पदस्थापन आदेश जारी करने के निर्देशों की पालना में निम्नांकित आशार्थियों को तृतीय वेतन श्रृंखला प्रयोगशाला सहायक के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में स्पष्ट रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरिक्षित वेतन मान) नियम 2017 के अनुसार पै मेट्रिक्स में लेवल L-8 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार दैन्य नियत मानदेय 18500 अक्षरे अठारह हजार पांच सौ रू (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर काउंसिलिंग के दौरान आशार्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक :-प 8(1) कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत होगी।

सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे :-

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधित सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावेगा। पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1) डी0ओ0पी0/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थियों से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 2 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50 /- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
3. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबन्धी आशय का शपथ पत्र 50 /- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
4. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिया जाने का स्वघोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
5. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बन्धित जॉच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाये जाने के अध्याधीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी से 50/- रुपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक अथवा प्रशैक्षिक योग्यता वैध या मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
6. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेज से कर ली जाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावे। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवायी जावे।
7. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पति की आय के आधार पर ही जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पते की आय के आधार पर आय प्रमाण पत्र जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपनी पति की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् बना हुआ हो प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवायी जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता कर लेने का प्रयत्न करके उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे।
8. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को मूल आवेदन पत्र तथा आवेदन रिपोर्ट के मिलान का प्रयत्न सुनिश्चित कर लिया जावे कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करे, जिसका आवेदन पत्र का आय पत्र पत्रांक 17-18 है।

9. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एतद्विषयक प्रसारित विज्ञप्ति के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय/ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन, विभिन्न याचिकाओं, अपील के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन रहते हुए की गई है।
10. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवम् आरक्षण संबंधित समस्त दस्तावेजों की जाँच आवश्यक रूप से कर लेवें। संबंधित आशार्थियों का पदस्थापन परामर्श शिविर में आशार्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर किया गया है।
11. इन कार्मिकों को परीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में फिक्स रेमुनेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते, महंगाई भत्ते, महंगाई वेतन, मकान किराया भत्ता, विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे। परीक्षाधीन अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधानी निधि, की कटौतिया नियमानुसार नहीं होगी।
12. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक:- एफ12(9)एफडी (रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोवेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनेशन से पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार करनी होगी।
13. आशार्थी के परीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
14. परीक्षाधीन अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर अवकाश अनुज्ञा दी जावेगी।
15. पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करते समय निम्न अभिलेख सम्बन्धित अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
 - सक्षम चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
 - योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका की सत्यापित प्रतियां
 - पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी सदाचरण का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
 - आवेदक द्वारा दहेज न लिए जाने का स्व घोषणा पत्र
 - आवेदक द्वारा धूमपान/मद्यपान नहीं करने एवं गुटखा नहीं खाने का स्व घोषणा पत्र।
16. इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 30.04.2021 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे एवम् शाला दर्पण पर इनकी सूचना अपडेट करें।

क्रस	नाम	पिता का नाम	पता	मेरिट नं	जन्म तिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान	फोटो
1	लोकेश मेघवाल	छितरलाल	वार्ड नं 2 मण्डाना तह लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान 325003	4624	18.08.2000	अजा	राउमावि केसुंदा	

(किशनलाल कोली)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक प्रतापगढ़
दिनांक :- 15.04.2021

क्रमांक:- जिशिअमु/माध्य/प्रताप/संस्था/2021/

2115

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान शासन उप सचिव (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. श्रीमान शासन उप कार्मिक (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. श्रीमान सचिव राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर।
6. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
7. श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय स्कूल शिक्षा उदयपुर संभाग उदयपुर।
8. श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा प्रतापगढ़।
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
10. संबंधित संस्था प्रधान
11. संबंधित आशार्थी.....।
12. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।
13. रक्षित पत्रावली

(15/04/21)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक प्रतापगढ़